

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 26/2010/अलवर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत्त, भिवाडी, अलवर
बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स एल्कोन पैरेन्टल इण्डिया लिमिटेड
अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
श्री जे.के.जैन
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.06.2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भिवाडी, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 125/उपा-अल/आरएसटी/06-07/09 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2009 के विरुद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 96-97 का कर निर्धारण दिनांक 23.03.1999 को किया गया था। भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) II, राजस्थान जयपुर से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से एक सूची प्राप्त हुई कि प्रत्यर्थी द्वारा रु. 3,71,820/-के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को छुपाया गया है तथा एक्सार्ज ड्यूटी बिक्री का भाग है। कर निर्धारण अधिकारी ने रु. 3,71,820/- की एक्सार्ज ड्यूटी को उक्त अवधि की बिक्री मानी जाकर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत दिनांक 6.7.2001 को आदेश पारित करते हुए रु. 3,71,820/-पर 12 प्रतिशत की दर से कर रु. 44,618/-, ब्याज रु. 49,972/- एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,99,944/- आरोपित करते हुए कुल मांग रु. 1,94,534/-की सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर रु. 2573/- एवं ब्याज रु. 2882/-को यथावत रखते हुए शेष आरोपित कर रु. 42,045/- व ब्याज रु. 47,090/- अपास्त कर दिया। इसी प्रकार सम्पूर्ण माल की खरीद, बिक्री का इन्द्राज प्रत्यर्थी व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में होने से अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 99,944/-को न्याय संगत नहीं मानते हुए अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलार्थीन आदेश

दिनांक 29.06.2009 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक, विधि विरुद्ध एवं भ्रामक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.3.99 को पारित किया गया था, परन्तु भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) II, राजस्थान जयपुर से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से एक सूची प्राप्त हुई कि प्रत्यर्थी द्वारा रु. 3,71,820/-के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को छुपाया गया है तथा एक्सआईज ड्यूटी बिक्री का भाग है। उनका कथन है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत यह बिक्री का भाग है और कर दाता द्वारा इसे न जोड़कर बिक्री कम दर्शायी है और उससे राज्य सरकार को कम राजस्व प्राप्त हुआ है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी कर उससे जवाब प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय बिक्री कर उत्पादन शुल्क रु. 3,71,820/-को बिक्री में जोड़ा जाकर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 का कर निर्धारण आदेश नांक 6.7.2001 पारित किया जाकर रु. 3,71,820/-पर 12 प्रतिशत की दर से कर रु. 44,618/-, ब्याज रु. 49,972/- एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रु.199,944/-आरोपित करते हुए कुल मांग रु. 1,94,534/-की सृजित की, जो विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज को कम करते हुए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा रु 3,71,820/- की एक्सआईज ड्यूटी आरोपित की गई थी, जिसमें से रु 1,28,633/- वर्ष 96-97 की है तथा रु 2,43,187/- वर्ष 95-96 से सम्बन्धित है। उनका कथन है कि सैन्ट्रल एक्सआईज विभाग के सहायक आयुक्त कस्टम, एक्सआईज एवं गोल्ड (कन्ट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की अपील संख्या ई/2506/97-सी के निर्णय दिनांक 06.10.099 के अनुसार वर्ष 96-97 के दौरान उत्पादित माल पर ही रु 1,28,633/- की एक्सआईज ड्यूटी को देय माना गया है। अर्थात् वर्ष 95-96 के विवादित उत्पादन शुल्क देय नहीं होने के कारण सपाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इस एक्सआईजेबल ड्यूटी को, प्लास्टिक ग्रैन्यूल से बोटल बनाते समय जो स्क्रेप बनता है, उसको री-साईकिल करने पर, वर्ष 96-97 से ही



एक्ट्राइयूटीएबल बनाया गया था, वर्ष 96-96 में यह ड्यूटीएबल नहीं था। अतः वर्ष 96-97 में केवल रू 1,28,633/- की ड्यूटी ही आरोपित की गई है, जो प्लास्टिक स्क्रेप की होने के कारण 2 प्रतिशत से ही कर योग्य है, जबकि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में इस पर बिना किसी आधार के 12 प्रतिशत से कर तथा ब्याज एवं शास्ति आरोपित किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित होने से अपास्त योग्य है।


अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को भी विवादित बतलाते हुए तर्क पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण खरीद बिक्री का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में किया जाकर देयकर राज्यकोष में जमा करवाने का सम्पूर्ण विवरण विभाग को प्रस्तुत बिक्री प्रपत्रों में घोषित किया है, तथा किसी प्रकार बिक्री अथवा कर दायित्व को छुपाया नहीं गया है। उनका कथन है कि एक्साईज विभाग द्वारा जो ड्यूटी आरोपित की गई है, वह केवल विधिक बिन्दु पर ही निर्धारित की गई है। अतः इस बिन्दु पर धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति अनुचित एवं अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सहायक आयुक्त, कस्टम, एक्साईज एवं गोल्स (कन्ट्रोल) अपीलेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली की अपील संख्या ई/2506/97-सी के निर्णय दिनांक 6.10.99 के अनुसार वर्ष 96-97 के दौरान उत्पादित माल पर ही रू. 1,28,633/-की एक्साईज ड्यूटी देय मानी है, अर्थात् वर्ष 95-96 के विवादित उत्पाद पर उत्पादन शुल्क को देय नहीं माना है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पादित विवादित माल (प्लास्टिक ग्रेन्यूअल्स व प्लास्टिक स्क्रेप) 2 प्रतिशत से कर योग्य है इसलिए उक्त माल पर 12 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना विधिक नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :-

“अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वर्ष 96-97 के दौरान विवादित माल पर देय एक्साईज ड्यूटी रू. 1,28,633/-पर 2 प्रतिशत से आरोपित कर रू.2573/- व ब्याज रू. 2882/-को यथावत रखते हुए शेष आरोपित कर रू. 42,045/- व ब्याज रू. 47,090/-को अवैधानिक होने के कारण अपास्त किया जाता है।”

“चूँकि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण माल की खरीद, बिक्री का इन्द्राज उसकी नियमित लेखा पुस्तकों में किया जाकर देय कर राजकोष में जमा कर्वाते हुए, सम्पूर्ण



विवरण विभाग को प्रस्तुत बिक्री प्रपत्रों में घोषित किया है, तथा एक्साईज ड्यूटी का निर्धारण, एक्साईज विभाग द्वारा विधिक बिन्दु के आधार पर किया है, इसलिए इस बिन्दु के आधार पर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 99,944 /— को न्याय संगत नहीं होने के कारण अपास्त किया है।”

उपरोक्त निष्कर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार विचार करने के पश्चात निष्कर्ष दिया है, इसलिए यह पीठ अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य